Issue of licences to M/s. Petrocarbons, M/s. India Carbons etc. for setting up industrial units

1486 SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that industrial licences were issued to several companies viz. M/s. Petrocarbons, Haldia, M/s. Goa Carbons, Goa, M/s. India Carbons, Budge Budge (West Bengal) for setting up industrial units during the last three years;

(b) if so, what were the products for which licences were issued alongwith respective installed capacity and commitments for exports;

(c) what have been the sources of raw materials showing the components of imported and indigenous raw materials separately,

(d) whether these units have been fulfilling their export commitments; and

(e) if not, the details of their shortfalls and the action Government propose to take against them?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI KAMAL MORARKA) (a) to (c) No Industrial Licence has been issued to M/s. Petrocarbons, Haldia, M/s Goa, Carbons, Goa and M/s India Carbons, Budge Budge (West Bengal) for setting up industrial units during the last three years. However, these companies are registered with the Directorate General of Technical Development (DGTD) for manufacture of various items, the details of which are furnished in the Appendix [*See* Appendix CLVI, Annexure No. 35]. There is no export obligation in the registrations issued to these companies.

(d) and (e) Do not arise.

राजधानी में अश्लील फिल्मों का प्रदर्शन

1487. **श्रीमती सूर्यकांता पाटिल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सिनेमा घरों में प्रात कालीन शो में अश्लील फिल्मों (हिन्दी और अंग्रेजी) की बाढ सी आ गयी है ;

(ख) यदि हा, तो सरकार की उस नीति का ब्यौरा क्या है जिसके अधीन ऐसी फिल्मो के प्रदर्शन की अनुमति दी जा रही है और ऐसी अश्लील फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसी अश्लील फिल्मो के प्रदर्शन के खिलाफ बहुत से सगठनो ने आवाज उठायी है ; और

(घ) यदि हा, तो उनके अनुरोधो पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अभिप्रेत सभी फिल्मो का प्रमाणीकरण, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा, चलचित्र अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है । इन मार्गदर्शी सिद्धातो के अनुसार प्रमाणीकरण के लिए फिल्मों की जाच करते समय, बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करेगा कि अभद्रता, अश्लीलता और विकृति से मानवीय भावनाओं को किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे । इसीलिए सिनेमाघरों मे केवल प्रमाणित फिल्मे ही दिखायी जा सकती हैं । तथापि, ऐसी रिपोर्ट मिली है कि फिल्मों को उस रूप में नहीं दिखाया जाता जिस रूप में उन्हें प्रमाणित किया जाता है । आम भाषा में, इसे "फिल्मो में अंशों को जोडना" कहा जाता है । कई व्यक्ति और संगठन ऐसे मामलों के बारे

मे, शिकायतें करते रहेहै । तथापि, चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानो के अन्तर्गत दण्ड व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारो और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनो की है । राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से बार-बार चलचित्र अधिनियम, 1952 की दण्ड व्यवस्था को कडाई से लागू करने का अनुरोध किया गया है ।

Finalisation of tripartite dearness allowances Committee recommendations

1488. SHRIMATI RATAN KUMARI: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred Question 1569 given in Rajya Sabha on the 21st August, 1990 and state:

(a) whether the Tripartite Dearness Allowance Committee to review the present D.A. formula applicable to employees of Public Sector Units has finalised its recommendations;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, by when the whole issue is likely to be settled?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI KAMAL MORARKA) (a) to (c) The Tripartite D A Committee is yet to finalise its recommendations The term of the Committee has been extended upto the 31st March, 1991 to enable it to finalise its recommendations

Appeal against Delhi High Court judgement on Bofors

1489 SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state what are the reasons for which Government did not go in appeal to the Supreme Court against the Delhi High Court judgement pronounced by justice Chawla on Bofors?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI LALIT VIJAY SINGH) The C.B.I. has sent a proposal to file a Special Leave petition (Appeal) to the Supreme Court against the Judgement dated 17/19th December, 1990 of Delhi High Court, on Bofors FIR case

साम्प्रदायिक दंगे

1490. **डा० अरार अहमद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र मे वर्तमान सरकार के वहन के बाद से किन-किन स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं और इन साम्प्रदायिक दंगो के क्या कारण थे ;

(ख) प्रत्येक स्थान पर हुए साम्प्रदायिक दगो का ब्यौरा क्या है, प्रत्येक दंगे मे कितने-कितने व्यक्ति मारे गये और प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी आर्थिक हानि हुई और केन्द्रीय या राज्य-सरकारों द्वारा इन लोगो को क्या सहायता दी गई है ;

(ग) भिन्न-भिन्न राज्यो मे इस संबध में कितने लोगो को गिरफ्तार किया गया है और क्या आंतकवादी और विध्वसकारी गतिविधि अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ; और यदि हा, तो उनके नाम क्या है; और

(घ) भविष्य मे ऐसे दंगों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है । [देखिए परिशिष्ट 156, अनुपत्र संख्या–36]